छोटे रोमेन्थक (रुमिनेन्ट और खरगोशों का समन्वित विकास)

नोडल एजेंसी: पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग (डीएडीएफ), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

योजना के उद्देश्य:

1. निर्वाहन खेती कार्यनिष्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान देने के बजाय वाणिज्यिक पालन के में किसानों को भेड़/ बकरी/ खरगोश पालन के लिए प्रोत्साहित करना।
2. नियमित सेलेक्शन द्वारा देसी नस्लों के उत्पादन प्रदर्शन में सुधार और मध्यम श्रेणी संकेतकों के आधार पर दुर्बल जीवों का वध किया जाएगा।
3. स्वीकार्य मानदंडों के आधार पर विपणन की सुविधा ताकि उत्पादक मांस के लिए अंतिम उपभोक्ता द्वारा भुगतान का एक उचित मूल्य प्राप्त करे।
4. स्थानीय स्तर पर उत्पादों को मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने और किसानों द्वारा जानवरों से एक बेहतर आय प्राप्त करने में मदद मिले।

पात्रता:

- पालन इकाइयों की स्थापना के लिए व्यक्तिगत किसान, स्वयं सहायता समूह वास्तविक लाभार्थी हैं। परंपरागत चरवाहों, महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी|
- व्यक्तिगत किसानों, गैर सरकारी संगठनों, कंपनियों जो छोटे जुगाली करने वाले पशुओं और खरगोशों के पालन लेने के लिए समूहों में किसानों का आयोजन किया है के लिए वरीयता के साथ खेतों प्रजनन के लिए पात्र होगा।

सब्सिडी की सीमा :

घटक	**पूंजी सब्सिडी**	
	(सामान्य श्रेणी के लिए)	**अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों, पहाड़ी और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए**
भेड़ और बकरियों के पालन (40 + 2)	परिव्यय का 25% अधिकतम रुपये 25,000/- के अधीन।	परिव्यय का 33.33% अधिकतम रुपये 33,300/- के अधीन
भेड़ और ब प्रजनन ईका (500+25)	परिव्यय का 25% अधिकतम रुपये 6.25 लाख के अधीन।	परिव्यय का 33.33% अधिकतम रुपये 8.33 लाख के अधीन
खरगोश पालन ईकाईयां	परिव्यय का 25% अधिकतम रुपये 0.56 लाख के अधीन।	परिव्यय का 33% अधिकतम रुपये 0.75 लाख के अधीन

Note: For addition under Link Agriculture Banking – Farmers – Central Sector Schemes